एफ.सं. डब्ल्यू-02/0003/2014-डीपीई(डब्ल्यूसी)-जीएल-V/21

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

लोक उद्यम विभाग

लोक उद्योग भवन,

ब्लॉक सं. 14, सी.जी.ओ. कॉम्प्लैक्स,

लोधी रोड, नई दिल्ली-110003

दिनांक: 03 अगस्त, 2021

कार्यालय ज्ञापन

विषय:- 1987 और 1992 के आधार पर केंद्रीय सरकारी लोक उद्यमों (सीपीएसईज़) में आईडीए वेतनमान के बाद बोर्ड स्तर/ बोर्ड स्तर से नीचे के अधिकारियों और असंघबद्ध पर्यवेक्षकों को मंहगाई भत्ता का भुगतान।

अधोहस्ताक्षरी को इस विभाग के दिनांक 17.08.2020 के समसंख्यक का.ज्ञा. का और डीपीई के दिनांक 19.11.2020 के का.ज्ञा. संख्या डब्ल्यू-02/0039/2017-डीपीई (डब्ल्यूसी)-जीएल-XVI/20 का संदर्भ लेने का निदेश हुआ है। जिसमें 30.06.2021 तक आईडीए वेतन पैटर्न का अनुसरण करने वाले सीपीएसईज़ के कार्यपालकों और असंघबद्ध पर्यवेक्षकों के लिए 01.10.2020 से प्रभावी मंहगाई भत्ता की दरों को स्थिर कर दिया गया है।

2. **दिसंबर, 2020 से फ़रवरी 2021 की तिमाही के लिए औसत एआईसीपीआई (1960=100) 7801 है। प्रतिशत में लिंक प्वाइंट पर वृद्धि [(7801-1099) /1099 *100] 609.8% है। विभिन्न वेतन श्रेणियों के लिए 01.07.2021 से प्रभावी मंहगाई भत्ता दरें:**

मूल वेतन प्रतिमाह	**महंगाई भत्ते की दर**
3500 रुपए तक	वेतन का 609.8% परन्तु न्यूनतम 13404/- रूपए
3500 रुपए से अधिक तथा 6500 रुपए तक	वेतन का 457.3% परन्तु न्यूनतम 21343/- रूपए
6500 रुपए से अधिक तथा 9500 रुपए तक	वेतन का 365.9% परन्तु न्यूनतम 29725/- रूपए
9500 रुपए से अधिक	वेतन का 304.9% परन्तु न्यूनतम 34761/- रूपए

3. महंगाई भत्ते के भुगतान में 50 पैसे या इससे अधिक भाग को अगला उच्चतर रुपया मान लिया जाए तथा 50 पैसे से कम भाग को छोड़ दिया जाए।

4. केन्द्रीय सरकारी लोक उद्यमों में वर्ष 1987 का आईडीए पैटर्न वेतनमान अपनाने वाले निदेशक मण्डल स्तर के तथा इस स्तर से नीचे के कार्यपालकों एवं असंघबद्ध पर्यवेक्षकों को दिनांक 01.07.2021 से देय औद्योगिक मंहगाई भत्ते की राशि पुरानी प्रणाली के निष्प्रभावन के अनुसार 2.00 रुपए प्रति अंक की वृद्धि की दर से 306 अंकों की वृद्धि के लिए 612/- रुपए तथा अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 7801 पर 14191.75 रुपए मंहगाई भत्ता देय होगा।

5. **1992 और 1987 आईडीए वेतनमान के लिए मंहगाई भत्ता में उपरोक्त वृद्धि, दिनांक 01.10.2020, 01.01.2021 और 01.04.2021 (गणना पत्रक अनुबंध I और II में संलग्न है) को उत्पन्न होने वाली अतिरिक्त किस्तों को समाहित करती है। दिनांक 01.10.2020 से 30.06.2021 तक की अवधि के लिए महंगाई भत्ते की दर समान रहेगी। जैसा कि दिनांक 17.08.2020 के समसंख्यक का.ज्ञा. द्वारा सूचित किया गया है।**

6. भारत सरकार के सभी प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागों से उपर्युक्त को आवश्यक कार्रवाई हेतु अपने प्रशासनिक नियंत्रणाधीन केन्द्रीय सरकारी लोक उद्यमों के ध्यान में लाने का अनुरोध किया जाता है।

(समसुल हक)
अवर सचिव

सेवा में,

भारत सरकार के सभी प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग।

प्रतिलिपि प्रेषित-:

1. केन्द्रीय सरकारी लोक उद्यमों के मुख्य कार्यपालक।
2. प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागों में वित्तीय सलाहकार।
3. व्यय विभाग, ई-II शाखा, नार्थ ब्लॉक, नई दिल्ली
4. भारत के नियंत्रक व महालेखा परीक्षक, 9 दीन दयाल उपाध्याय मार्ग, नई दिल्ली।
5. राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, लोक उद्यम विभाग को इस अनुरोध के साथ की इस कार्यालय ज्ञापन को लोक उद्यम विभाग की वेबसाइट पर अपलोड कर दिया जाए।

(समसुल हक)
अवर सचिव

अनुबंध I

1992 आईडीए वेतनमान के अनुसरण में कार्यपालकों और असंघबद्ध पर्यवेक्षकों के लिए गणना पत्रक

नियत तिथि	तिमाही का औसत	लिंक प्वाइंट (पिछले उपलब्ध तीन महीने के औसत एआईसीपीआई 01.01.1992 तक)	लिंक प्वाइंट पर वृद्धि	डीए की दरें	टिप्पणियां
01.10.2020	7654	1099	6555	596.4	डीए अवधि की फ्रीजिंग के दौरान वास्तविक डीए दर 582% है। किसी भी बकाया की अनुमति नहीं दी जाएगी।
01.01.2021	7834	1099	6735	612.8	
01.04.2021	7801	1099	6702	609.8	

विभिन्न वेतन श्रेणियों के लिए मंहगाई भत्ता दरें 01.10.2020 से

मूल वेतन प्रतिमाह	महंगाई भत्ते की दर
3500 रुपए तक	वेतन का 596.4% परन्तु न्यूनतम 13110/- रूपए
3500 रुपए से अधिक तथा 6500 रुपए तक	वेतन का 447.3% परन्तु न्यूनतम 20874/- रूपए
6500 रुपए से अधिक तथा 9500 रुपए तक	वेतन का 357.8% परन्तु न्यूनतम 29075/- रूपए
9500 रुपए से अधिक	वेतन का 298.2% परन्तु न्यूनतम 33991/- रूपए

विभिन्न वेतन श्रेणियों के लिए मंहगाई भत्ता दरें 01.01.2021 से

मूल वेतन प्रतिमाह	महंगाई भत्ते की दर
3500 रुपए तक	वेतन का 612.8% परन्तु न्यूनतम 13470/- रूपए
3500 रुपए से अधिक तथा 6500 रुपए तक	वेतन का 459.6% परन्तु न्यूनतम 21448/- रूपए
6500 रुपए से अधिक तथा 9500 रुपए तक	वेतन का 367.7% परन्तु न्यूनतम 29874/- रूपए
9500 रुपए से अधिक	वेतन का 306.4% परन्तु न्यूनतम 34932/- रूपए

विभिन्न वेतन श्रेणियों के लिए मंहगाई भत्ता दरें 01.04.2021 से

मूल वेतन प्रतिमाह	महंगाई भत्ते की दर
3500 रुपए तक	वेतन का 609.8% परन्तु न्यूनतम 13404/- रूपए
3500 रुपए से अधिक तथा 6500 रुपए तक	वेतन का 457.3% परन्तु न्यूनतम 21343/- रूपए
6500 रुपए से अधिक तथा 9500 रुपए तक	वेतन का 365.9% परन्तु न्यूनतम 29725/- रूपए
9500 रुपए से अधिक	वेतन का 304.9% परन्तु न्यूनतम 34761/- रूपए

अनुबंध II

1987 आईडीए वेतनमान के अनुसरण में कार्यपालकों और असंघबद्ध पर्यवेक्षकों के लिए गणना पत्रक

नियत तिथि	तिमाही के लिए औसत एआईसीपीआई	पिछली तिमाही का औसत एआईसीपीआई	दोनों एआईसीपीआई का अंतर	2 रुपये प्रति प्वाइंट शिफ्ट	पिछली तिमाही के दौरान देय/देय डीए के लिए राशि (रु.)	देय डीए दरें	टिप्पणियां
01.10.2020	7654	7495	159	318	13579.75	13897.75	डीए फ्रीजिंग अवधि के दौरान वास्तविक डीए की दरें (दिनांक 01.10.2020 से 30.06.2021) 13579.75 रुपये है। कोई बकाया स्वीकृत नहीं है।
01.01.2021	*7834*	7654	180	360	13897.75	14257.75	
01.04.2021	*7801*	7834	-(33)	-(66)	14257.75	14191.75	

*****